

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,

पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग- 3

लखनऊ दिनांक- (० अक्टूबर, 2019

विषय:- 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में ग्राम पंचायतों से पुनः आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2212/33-3-2019-34/2019 दिनांक 18.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अवमुक्त निष्पादन अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों से पुनः आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उक्त शासनादेश में पूर्व में निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु आवेदन किया जाना।	दिनांक 27.09.2019 से 15.10.2019
2.	जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पोर्टल पर अनुबन्ध 02 अपलोड किया जाना।	दिनांक 15.10.2019 से 22.10.2019
3.	जनपद द्वारा पोर्टल पर अपलोड के उपरान्त अनुबन्ध 02 व पात्र ग्राम पंचायतों के अभिलेख निदेशालय में उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 25.10.2019 तक
4.	निदेशालय द्वारा संकलित सूची व राज्य स्तर अनुबन्ध 02 शासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक 05.11.2019 तक

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में पुनः आवेदन प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 18.09.2019 में निर्धारित शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,



(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,


(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में पुनः आवेदन प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 18.09.2019 में निर्धारित शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(सोबरन सिंह)

विशेष सचिव।

A